भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग

***

विकलांग व्यक्तियों का उद्यमिता तथा कौशल विकास

(क) सरकार द्वाराविकलांग व्यक्तियों के उद्यमिता और कौशल विकास हेतु लागू की जा रही योजनाओं का ब्यौराः

1- **एनएचएफडीसीः** वर्ष 1997 में, सरकार ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में, विकलांग व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु रियायती ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक निगम–राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की थी। निगम द्वारा विकलांग व्यक्तियों को कौशल प्रशिक्षण और उद्यमिता हेतु कौशल प्रशिक्षण अनुदान भी प्रदान किया जाता है जिसमें निगम प्रशिक्षण संस्थानों/संगठनों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों की कुल आवर्ती लागत का 100 प्रतिशत प्रदान करता है। एनएचएफडीसी प्रशिक्षण के दौरान विकलांग प्रशिक्षणार्थियों को प्रतिमाह 2000/–रूपए का वजीफा भी प्रदान करता है। प्रशिक्षण की अवधि 1 माह से 6 माह की होती है। एनएचएफडीसी के प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु निधियां डीडीआरएस और सिपडा योजनाओं के माध्यम से और साथ ही निगम के आंतरिक संसाधनों से प्रदान की जाती है।

2- **दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना–**दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना के अंतर्गत, विकलांग व्यक्तियों के कौशल उन्नयन हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र परियोजनाओं को वित्तीय सहायता (परियोजना लागत के 90 प्रतिशत तक) प्रदान की जाती है। यह कौशल 15 से 35 वर्ष की आयु समूह के लिए है ताकि ऐसे व्यक्ति आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे आ सके।

3- **राष्ट्रीय संस्थानों के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण–**विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत 07 राष्ट्रीय संस्थान भी विकलांग व्यक्तियों के लिए उनकी संबंधित विकलांगता के क्षेत्र में समुचित ट्रेड्सके लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं।

4- **विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन की योजना (सिपडा)**

इस योजना के अंतर्गत, विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 से संबंधित विभिन्न गतिविधियों हेतु केन्द्र अथवा राज्य सरकारों के अधीन राज्य सरकार तथा स्वायत्त संगठनों/संस्थानों को सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत, वर्ष 2013–14 से विकलांग व्यक्तियों के कौशल विकास कार्यक्रमों हेतु अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।

5- **विकलांगों हेतु व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र**–श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा देश के विभिन्न भागों में 21 व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना की गई है। इन केन्द्रों का मुख्य उद्देश्य,विकलांग व्यक्तियों को समाज में एक स्वतंत्र और उपयोगी जीवन जीने में सहायता प्रदान करने की दृष्टि से उनकी शेष क्षमताओं के अनुसार अनौपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण और व्यावसायिक पुनर्वास सहायता प्रदान करना है।

(ख): विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की गई और उपयोग की गई निधियों का विवरण **अनुबंध (क)** तथा **अनुबंध (ख)** पर है।

1- **राष्ट्रीय संस्थानों के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण**

पिछले तीनवर्षों के दौरान राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किए गए व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गई है–

वर्ष	राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा प्रशिक्षित विकलांग व्यक्तियों की संख्या
2011–12	756
2012–13	5151
2013–14	5756
2014–15(नवंबर 2014 तक)	2413
योग	14076

2- **<u>विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन हेतु योजना (सिपडा)</u>**

क्र.सं.	वर्ष	संस्थानों की संख्या जिन्हें अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है।	राशि (करोड़ रूपए में)	लाभार्थियों की संख्या
1.	2011–12	"ून्य	"ून्य	"ून्य
	2012–13	"ून्य	"ून्य	"ून्य
	2013–14	3	0.3638	570
	2014–15 (15.12. 2015 तक)	2	10.33	9000
	योग	5	10.6938	9570

3- **विकलांगों हेतु व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रः उपलब्धियां**

पिछले तीन वर्षों में वीआरसी की वित्तीय एवं वास्तविक उपलब्धियां इस प्रकार हैं–

वर्ष	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	उपयोग की गई निधियां (लाख रूपए में)		
2011–12	11588	प्लान	गैर– प्लान	योग
		341.83	1519.21	1861.04
2012–13	12621	380.79	1551.51	1932.30
2013–14	11928	401.24	1562.35	1963.59
योग	40437			5756.93

विकलांगजन सषक्तिकरण विभाग
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

विकलांग व्यक्तियों के कौषल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना –
एक विजयी छलांग की आवष्यकता

क. पृष्टभूमि

रोजगार योग्य कौशल विकास और सार्थक रोजगार प्राप्त करते समय भारत में विकलांग व्यक्तियों को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यद्यपि भारत ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का अनुसमर्थन कर दिया है, फिर भी विकलांग व्यक्तियों को श्रम बाजार में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में लगभग 2.68 करोड़ विकलांग व्यक्ति हैं। (1.50 करोड़ पुरुष और 1.18 करोड़ महिला विकलांग व्यक्ति हैं)। भारत की जनसंख्या में विकलांग व्यक्तियों की काफी संख्या है, फिर भी, विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन के बावजूद, सार्थक रोजगार प्राप्त करने की उनकी आवश्यकता को अधिकांश तौर पर पूरा नहीं किया गया है। जनगणना के अनुसार, भारत के 68% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। इसलिए समग्र जनसंख्या में विकलांग व्यक्तियों की संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में अनुपातिक रुप से अधिक है, जो सामान्य गरीबी कारणों और स्वास्थ्य सेवाओं तक बहुत कम पहुंच के कारण है। ग्रामीण विकलांग व्यक्ति आमतौर पर कौशलों और बाजार से कटे हुए हैं।

यद्यपि, उन लोगों के लिए जिनकों इसकी आवश्यकता है, उनके लिए एक आर्थिक सुरक्षित नेट होना चाहिए, अनेक विकलांग व्यक्तियों के मन में कार्य करने और आर्थिक निर्भरता प्राप्त करने और भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान करने की प्रबल इच्छा है।

विकलांग व्यक्तियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार अवसरों में सुधार करने से विकलांग व्यक्तियों और उनके परिवारों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। वहीं इससे, विस्तृत अर्थव्यवस्था को भी बहुत लाभ होगा। इन विकलांग व्यक्तियों और समाज को इनके रोजगाररत न रहने के कारण बहुत बड़ी हानि हो रही है। विश्व बैंक का मानना है कि विकलांग व्यक्तियों को अर्थव्यवस्था से बाहर छोड़ने के कारण, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 5% से 7% की हानि होती है। व्यक्तिगत और पारिवारिक लाभों के अतिरिक्त श्रम शक्ति सहभागिता में वृद्धि करने की बड़ी आर्थिक आवश्यकता है। इससे जहां कुशल

श्रम शक्ति की कमी को पूरा करने में सहायता प्राप्त होगी वहीं कल्याणकारी आत्मनिर्भरता से संबंधित आर्थिक दवाब भी कम होगा।

विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा 24.10.2014 को माननीय प्रधानमंत्री को किये गये प्रस्तुतीकरण के दौरान की गई चर्चाओं में यह निर्णय लिया गया था कि विकलांग व्यक्तियों के लिये नई कौशल पहल तैयार करने हेतु विभाग, कौशल विकास मिशन के साथ सहयोग करेगा।

ख. हमारे पास पहले से क्या है : विकलांग व्यक्तियों के लिये कौशल प्रशिक्षण परिदृश्य

- राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी)
- विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग के राष्ट्रीय संस्थानों और राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम (एनएचएफडीसी), राष्ट्रीय न्यास आदि द्वारा चलाये जा रहे व्यावसायिक प्रशिक्षण कोर्स।
- 20 विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों, 10,000 से भी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और 1000 से भी अधिक रोजगार कार्यालयों का पर्यवेक्षण कर रहा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंद्ध, सामुदायिक कॉलेजों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों द्वारा चलाये जा रहे तकनीकी और व्यावसायिक कोर्स।
- व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास पर केन्द्रित गैर–सरकारी संगठन, जिनमें से कई ने उत्कृष्ट कार्य किया है।
- **निजी क्षेत्र के प्रशिक्षण संगठन :** कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत कई संगठनों ने बेहतरीन कार्य किया है।
- एनटीपीसी, बीपीसीएल, बीईएल, एचएएल आदि जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने भी विकलांग व्यक्तियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण में काफी योगदान किया है।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय का, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन।
- शहरी विकास मंत्रालय का राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन।
- केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों और राज्य सरकारों के व्यावसायिक प्रशिक्षण/आजीविका कार्यक्रम।

ग एक बड़ा अन्तर

- लगभग 1.34 करोड़ विकलांग व्यक्ति 15 से 59 वर्ष के बीच की नियोजनीय वर्ष की आयु के हैं। नियोजनीय आयु में लगभग 99 लाख विकलांग व्यक्ति गैर–कार्मिक हैं अथवा सीमान्त कार्मिक हैं।
- विकलांग व्यक्ति जनसंख्या में सबसे गरीब हैं।
- मांग और आपूर्ति के बहुत बड़े अंतराल के मद्देनजर कौशल विकास संरचना को बढ़ाने की अति आवश्यकता है।
- विभिन्न संस्थानों/तंत्रों द्वारा दिया जा रहा प्रशिक्षण असमान, कम गुणवत्ता वाला है और बहुत कम रोजगार प्रदायक है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांग व्यक्तियों की वर्तमान प्रशिक्षण संरचना तक बहुत कम पहुंच है।
- विकलांग व्यक्तियों के कौशल प्रशिक्षण में निजी क्षेत्र की बहुत कम सहभागिता है।
- विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा विकलांग व्यक्तियों को दिया जा रहा कौशल प्रशिक्षण अपूर्ण अथवा पुनरावृत्ति वाला है।

निम्नलिखित के लिए अत्यंत आवश्यकता है :

- उच्च रोजगार प्रदायता के साथ गुणवत्ता का व्यावसायिक प्रशिक्षण।
- समान प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और पद्वति।
- प्रशिक्षण, विषय वस्तु सृजन और प्रशिक्षण की मॉनीटरिंग में नवीनतम तकनोलॉजी का इस्तेमाल।
- प्रशिक्षण और प्लेसमेंट प्रक्रिया में निजी क्षेत्र और गैर–सरकारी संगठनों की सरकार्य सहसभागिता।
- कारपोरेट सामाजिक दायित्व निधियों का लक्षित अपेक्षित इस्तेमाल।

घ. विकलांग व्यक्तियों के कौशल विकास हेतु विजयी छलांग के लिये प्रस्ताव

विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, गैर–सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र जैसे मुख्य स्टेक हॉल्डरों को एक मंच पर लाकर विकलांग व्यक्तियों को कुशल बनाने हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना शुरु करने की आवश्यकता है।

(प्रस्तावित प्रशिक्षण संरचना का मॉडल अनुबंध पर दिया गया है)

(i) एनएसडीसी की सहायता से विकलांग जन सशक्तिरण विभाग में एक परियोजना मॉनीटरिंग यूनिट स्थापित की जायेगी। परियोजना यूनिटों में निम्नलिखित घटक होंगेः

- प्रशिक्षण आवश्यकता आकलन यूनिट ।
- विषय वस्तु सृजक यूनिट।
- प्रशिक्षण मॉनीटरिंग और प्रमाणन यूनिट।
- नियोजक को जोड़ने वाली यूनिट।
- आईटी यूनिट ई–लर्निंग मॉड्यूलों के सृजन, प्रशिक्षण की मॉनीटरिंग, प्रशिक्षण केन्द्रों के ई–सर्टिफिकेशन, जॉब पोर्टल के सृजन और अनुरक्षण हेतु सहायता प्रदान करेगी।

(ii) व्यावसायिक/कौशल प्रशिक्षण गैर–सरकारी संगठनों और व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों के एक नेटवर्क द्वारा प्रदान किया जायेगा। व्यावसायिक प्रशिक्षण पूर्व में उच्च रोजगार प्रदायगी अनुसार के साथ उत्कृष्ट प्रशिक्षण मुहैया कराने के ट्रैक रिकॉर्ड वाले देश भर में फैले एक प्रशिक्षण प्रदाता समूह द्वारा प्रदान किया जायेगा। इन गैर–सरकारी संगठनों/व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों को विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग/राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कार्य निष्पादन आधारित सहायता प्रदान की जायेगी। इन प्रशिक्षण प्रदाताओं को विकलांग सशक्तिकरण विभाग के राष्ट्रीय संस्थानों/मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों द्वारा सहअर्जित सहायता प्रदान की जायेगी।

(iii) कौशल विकास मंत्रालय और निजी क्षेत्र के सहयोग से विकलांग व्यक्तियों के लिये अलग से एक समस्त क्षेत्रक कौशल परिषद की स्थापना किये जाने की आवश्यकता है। कौशल परिषद और विकलांग जन राष्ट्रीय संस्थानों के परामर्श से भारतीय पुनर्वास परिषद प्रशिक्षण प्रदाताओं के लिए एक समान कोर्स पाठ्यक्रम और प्रमाणन तंत्र के सृजन में सहायता करेगी।

(iv) ऐसे प्रत्येक प्रशिक्षण समूह हेतु अनेक निजी क्षेत्र के संगठनों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की व्यवस्था की जायेगी जो उन्हें कारपोरेट सामाजिक दायित्व निधियां, प्रशिक्षण सहायता और गैर–नियोजक जुड़ाव मुहैया करायेंगे।

(v) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के सहयोग से, विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग, रोजगार से जोड़ने और सीएसआर सहायता प्राप्त करने हेतु, इन प्रशिक्षण प्रदाताओं को विभिन्न निजी क्षेत्रक संगठनों और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के साथ जोड़ते हुए उनकी सहायता करेगी।

(vi) और राज्य सरकारे इन व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताअें के समूहों को आधारभूत सुविधाएं संसाधन सहायता प्रदान करके सकारात्मक सहायता प्रदान करेगी।

ड. अपेक्षित परिणाम

- राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के सहयोग से विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग का अगले 3 वर्षों में 5 लाख विकलांग व्यक्त्यिों के कौशल विकास का महत्वकांक्षी लक्ष्य है। तीन वर्षों का लक्ष्य प्राप्त कर लेने के बाद हम तेज गति प्राप्त कर चुके होंगे और एक बड़े ऑनलाइन मंच का सृजन कर चुके होंगे जिसमें हम 5.00 लाख व्यक्तायों व्यक्तियों को कौशल प्रदान करने में सक्षम होंगे तथा इस प्रकार से वर्ष 2018 से 2022 तक की अवधि के दौरान 2 मिलियन विकलांग व्यक्तियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर सकेंगे। इस प्रकार से 2020 वर्ष तक, राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत 2.5 मिलियन विकलांग व्यक्तियों को (लक्षित प्रदायगी का 70%) कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकेगा। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के लक्ष्यों की प्राप्ति में यह एक महत्वपूर्ण योगदान होगा।
- प्रशिक्षण प्रदाताओं का प्रशिक्षकों के लगभग 100 समूहों का एक नेटवर्क होगा। इस प्रकार से प्रत्येक समूह के लिए प्रथम वर्ष के दौरान लगभग 1000 विकलांग व्यक्तियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य रखा जायेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण हेतु अग्रणी गैर–सरकारी संगठन को और छोटे गैर–सरकारी संगठनों की सहायता लेने की शक्ति प्रदान की जायेगी। ऐसे प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र की परियोजना मॉनीटरिंग यूनिट द्वारा मॉनीटरिंग की जायेगी। प्रशिक्षण प्रदाओं और उनकी संख्या में प्रत्येक वर्ष वृद्धि की जाती रहेगी।

च. अपेक्षित निधियां

प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी और प्रत्येक कौशल प्रशिक्षण कोर्स की परिकल्पना के साथ प्रथम वर्ष के लिये अपेक्षित आकलित धन लगभग 150 करोड़ रुपये होगा जो मुख्य तौर पर निम्नलिखित स्रोतों से आयेगा :

1. विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग से निधियां/इस समय विभाग, राष्ट्रीय विकलांग वित्तएवं विकास निगम को विकलांग व्यक्तियों के प्रशिक्षण हेतु प्रति व्यक्ति, प्रति कोर्स 12,000/– रुपये की औसत राशि प्रदान कर रहा है।

2. 50 करोड़ रुपये की निधि कौशल विकास और मंत्रालय द्वारा मुहैया कराई जायेगी (स्टार योजना की तर्ज पर)।

3. सीएसआर फंड्स और सा. क्षे. के उपक्रमों से भी धन एकत्रित किया जा सकता है। ''विकलांग व्यक्तियों के लिए कौशल प्रशिक्षण वाउचरों/कार्डों जैसे नवप्रवर्तक वित्तपोषक विकल्पों का इस्तेमाल किया जायेगा और लेखा परीक्षक संगठनों से और भी धन जुटाया जायेगा।

छ. कार्य योजना

अनंतिम निर्धारित तारीखों के साथ प्रस्तावित राष्ट्रीय कार्य योजना के लिये बिन्दु नीचे दिये गये हैं :

क्र. सं.	कार्यकलाप	निर्धारित तारीख	उत्तरदायी संगठन
1.	सभी स्टेक होल्डरों के लिये राष्ट्रीय स्तरीय कार्यशाला में राष्ट्रीय कार्य योजना का उद्घाटन	14/15.03. 2015	विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
2.	परियोजना मॉनीटरिंग यूनिट स्थापित और व्यावसायिक प्रशिक्षण/नियोजन जोड़क कार्यकलापों हेतु निष्पादन आधारित वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर	25.02.2015	विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम
3.	श्रम मंत्रालय, सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर	15.03.2015	विकलांग जन सशक्तिकरण/ सुक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम/श्रम/मानव संसाधन विकास मंत्रालय
4.	परियोजना मॉनीटरिंग यूनिट की स्थापना	01.04.2015	विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम
5.	विकलांग व्यक्तियों के लिए क्षेत्रक कौशल विकास परिषद की स्थापना	01.04.2015	विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम
6.	प्रशिक्षण प्रदाताओं के कलस्टरों के लिए पांच क्षेत्र स्तरीय कार्यशालायें/ स्टेकहॉल्डर्स कार्य समूह	15.03.2015 25.03.2015 05.04.2015	विकलांग सशक्तिकरण विभाग/राष्ट्रीय कौशल विकास निगम/राज्य

		15.04.2015 25.04.2015	सरकारें / श्रम मंत्रालय / मानव संसाधन विकास मंत्रालय
7.	संरचना को अंतिम रुप देने हेतु सभी स्टेकहोल्डर्स के लिए दूसरे स्तर की राष्ट्रीय कार्यशाला	15.05.2015	सभी स्टेकहोल्डर्स
8.	प्रशिक्षण मॉडयूल का उद्घाटन	15.05.2015	सभी स्टेकहोल्डर्स

विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सहयोग से 21 मार्च, 2015 को राष्ट्रीय कार्य योजना का उद्घाटन किया।

***